न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 224/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00355)

1. शंकरलाल पुत्र श्री शिवबख्श जाति ब्राहमण निवासी ग्राम तीतरवाडा तहसील दौसा जिला दौसा राज0 हाल निवासी सैंथल रोड, बंजरंग नगर दौसा तह. व जिला दौसा।

– अपीलान्ट

बनाम

1. अखैराम दत्तक पुत्र भगवानसहाय जाति ब्राहमण निवासी ग्राम मालगवास तहसील व जिला दौसा हाल निवासी चौधरी कॉलोनी, विस्तार–3, करतारपुरा जयपुर फौत के बजाय

1/1. लक्ष्मी देवी पत्नि स्व0 अखैराम उर्फ अखयराम

1/2. महेश पुत्र स्व0 अखैराम उर्फ अखयराम

1/3. सुरेश पुत्र स्व0 अखैराम उर्फ अखयराम

1/4. दिनेश पुत्र स्व0 अखैराम उर्फ अखयराम
समस्त जाति ब्राहमण हाल निवासी प्लॉट नम्बर 3, चौधरी कॉलोनी, करतारपुरा जयपुर जिला जयपुर।

1/5. गीता पुत्री स्व0 अखैराम उर्फ अखयराम पत्नि जवाहर शर्मा, जाति ब्राहमण निव निवासी प्लॉट नम्बर 3, चौधरी कॉलोनी, करतारपुरा जयपुर जिला जयपुर।

2. कैलाश पुत्र शिवबख्श जाति ब्राहमण निवासी तीतरवाडा तहसील दौसा हाल निवासी सैंथल मोड दौसा।
3. नन्दकिशोर पुत्र शिवबख्श जाति ब्राहमण निवासी तीतरवाडा तहसील दौसा हाल निवासी बजरंग नगर, सैंथल रोड दौसा तहसील व जिला दौसा।
4. शिवदयाल पुत्र शिवबक्श जाति ब्राहमण निवासी तीतरवाडा तहसील दौसा हाल निवासी श्याम मंदिर के पीछे दौसा तहसील व जिला दौसा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा।

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 23.03.2020 तहसीलदार दौसा जिला दौसा प्रकरण संख्या 08/2006 प्रकरण उनवानी शंकरलाल बनाम अखैराम वगै0 जो रिमाण्ड नामान्तरकरण संख्या 157 दिनांक 25.08.1998 ग्राम तीतरवाडा खुर्द के संबंध में धारा 135(2) के तहत किया गया है

उपस्थित–

1. श्री अशोक कुमार जोशी, वकील अपीलान्ट ।
2. श्री के.आर.शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1/1 से 1/5 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. नं. 5 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –10.09.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार, दौसा जिला दौसा के निर्णय दिनांक 23.03.2020 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 07.07.2020 को प्रस्तुत हुई है ।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि ग्राम तीतरवाडा खुर्द तहसील दौसा के तत्कालीन आराजी खसरा नम्बर 315, 316, 597, 603, 604 वाके ग्राम तीतरवाडा (वर्तमान वाके ग्राम मेहरों की ढाणी) एवं खसरा नम्बर 874 वाके ग्राम तीतरवाडा खुर्द श्री श्योबक्स फौत हो जाने के फलस्वरूप उनके पुत्रों के नाम विरासत का नामान्तरकरण संख्या 157 दिनांक 25.08.1998 खोला गया। चूंकि मूल खातेदार श्री श्योबक्स की धर्मपत्नी भी पहले ही फौत हो चुकी है जिसके फलस्वरूप उनके

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

वारिसान जायन्दा पुत्रों अखैराम, नन्दकिशोर, शंकरलाल, शिवदयाल, कैलाशचंद पिसरान श्योबक्स के नाम विरासत का नामान्तरकरण संख्या 157 दिनांक 25.08.1998 खोला गया। परंतु श्री शंकरलाल पुत्र श्री श्योबक्स ने उक्त नामान्तरकरण पर आपत्ति जताते हुये उप जिला कलक्टर दौसा के यहां उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील की गई। उप जिला कलक्टर दौसा ने अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये विरासत के नामान्तरकरण को खारिज कर दिया और तहसीलदार दौसा को रिमांड कर निर्देश दिये कि पुनः विधिवत सुनवाई कर अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने के आदेश पारित किये गये। तहसीलदार दौसा ने अपने निर्णय दिनांक 23.03.2020 में यह निर्णय पारित किया गया कि प्रकरण में शंकरलाल द्वारा अखैराम के भगवान्या पुत्र कौरया के गोद जाने के संबंध में कोई साक्ष्य अथवा पंजीकृत गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रकरण के सभी दस्तावेज एवं पहलुओं पर बारीकी से अध्ययन एवं परीक्षण किया गया। तदुपरान्त न्यायालय इस नतीजे पर पहुंचता है कि मृतक श्योबक्श के वारिसान के नाम ग्राम पंचायत द्वारा खोला गया नामान्तरकरण संख्या 157 दिनांक 25.08.1998 सही खोला गया है।

3. तहसीलदार तहसील दौसा के निर्णय दिनांक 23.03.2020 के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट शंकरलाल पुत्र श्री शिवबख्श द्वारा यह अपील मंजूर कर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, दौसा के निर्णय दिनांक 23.03.2020 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 4 एक ही पिता की संताने है। रेस्पो0 नम्बर 1 बचपन में ही अपने मामा नाना के यहां ग्राम मालगवास में गोद चला गया था। रेस्पो0 नम्बर 1 बचपन में ही अपने मामा भगवान्या के गोद चले जाने से उसके प्राकृतिक पिता श्योबख्श से मिले अधिकार समाप्त हो गये एवं धारा 12 हिन्दू दत्तक एवं भरणपोषण के अन्तर्गत रेस्पो0 नम्बर 1 के अधिकार श्योबख्श की संपत्ति से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गये। उक्त भगवान्या की मृत्यु के उपरान्त उसका दाह संस्कार रेस्पो0 नम्बर 1 के द्वारा किया गया एवं भगवान्या के पगडी भी रेस्पो0 सं0 1 अखैराम के ही बंधी तथा भगवान्या की खातेदारी भूमि का नामान्तरकरण भी रेस्पो0 संख्या 1 के नाम खोला गया था तथा वह भगवान्या का दत्तक पुत्र पूर्ण सिद्ध था। किन्तु इन सबके बावजूद भी रेस्पों0 नम्बर 1 ने बहुत चालाकी एवं होशियारी से श्योबक्ख की खातेदारी भूमि जो ग्राम तीतरवाडा में स्थित है, का नामान्तकरण संख्या 157 दिनांक 25.08.1998 को खुलवा लिया तथा अपीलांट को कभी भी इस तथ्य की जानकारी नहीं हुई। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी होने पर अपीलांट द्वारा सक्षम न्यायालय उप जिला कलेक्टर महोदय दौसा के समक्ष एक अपील उनवानी शंकरलाल बनाम अखैराम अपील संख्या 31/2002 प्रस्तुत की जिसमें न्यायालय श्रीमान उप जिला कलेक्टर महोदय दौसा द्वारा दिनांक 26.12.2006 को उक्त अपील में निर्णय पारित कर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर उक्त विवादित नामान्तरकरण संख्या 157 दिनांक 25.8.1998 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार दौसा को प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया कि दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर एक माह के अन्दर पुनः नामान्तरकरण तस्दीक करें। उक्त निर्णय दिनांक 26.12.2006 की पालना में प्रकरण तहसीलदार दौसा के समक्ष चला जिसमें अपीलांट द्वारा अपने सबूत के रूप में समस्त दस्तावेजात प्रस्तुत किये एवं रेस्पो0 सं0 2 लगा0 4 के द्वारा भी शपथ पत्र प्रस्तुत कर बताया कि उक्त अखैराम भगवान्या के गोद चला गया था तथा श्योबख्श की संपत्ति में उसका कोई अधिकार निहित नहीं है तथा पत्रावली मूल नामान्तरकरण तलब हेतु चलती रही एवं दिनांक 18.3.2020 को कोरोना महामारी कोविड–19 के संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा लोकडाउन करने के पश्चात भी बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

बिना योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.3.2020 को निर्णय पारित कर पूर्व तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 157 दिनांक 25.08.1998 को सही होना माना जाकर निर्णय पारित कर दिया। योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा के समक्ष पत्रावली सुनवाई हेतु चल रही थी जिसमें पक्षकारान उपस्थित हो गये थे किन्तु मूल नामान्तरकरण योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्राप्त नहीं हुआ था तथा पत्रावली मूल नामान्तरकरण की तलबी हेतु चल रही थी इसलिए दिनांक 16.01.2020 को रेस्पोडेन्ट्स द्वारा कोई प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसकी बहस हेतु भी पत्रावली नियत थी तथा दिनांक 20.02.2020 को पत्रावली में आगामी तारीख पेशी 20.03.2020 नियत की गई थी, किन्तु इसी बीच विश्वव्यापी महामारी कोरोना कोविड–19 बीमारी उत्पन्न हो जाने के कारण दिनांक 18.3.2020 को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा एक सर्कूलर क्रमांक Bor/Espt/F-32/2007/4348 जारी कर उक्त कोरोना वायरस को देखते हुए समस्त अधिनस्थ राजस्व न्यायालयों में केवल मात्र आवश्यक प्रकृति के मुकदमें सुनने हेतु आदेशित किया तथा अन्य प्रकरणों में जो आवश्यक प्रकृति के नहीं है, में आगामी तारीख पेशी दिये जाने के आदेश पारित किये थे। जिसकी प्रति समस्त अधिनस्थ न्यायालयों को प्रेषित की गई थी एवं इसी बीच राजस्थान सरकार गृह विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 19.03.2020 क्रमांक प.33(2)गृह–9/2019 द्वारा राजकीय/अद्धराजकीय विभागों, स्वायत्शाषी संस्थाओं, राजकीय निगमों/मण्डलों में आंशिक शटडाउन दिनांक 31.3.2020 तक करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये थे। जिस पर अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ तथा अपीलांट को पता लगा कि अभी लोकडाउन है लोकडाउन के पश्चात भी तारीख पेशियों का पता लग सकता है। फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.03.2020 को आगामी तारीख पेशी 23.3.2020 पत्रावली लगाकर बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा जमाबन्दी संवत 2012 ग्राम मालगवास की प्रस्तुत की थी। जिसमें रेस्पो0 संख्या 1 का नाम अखैराम पि.मु. भगवानसहाय अंकित है तथा उक्त रेस्पो0 सं0 1 अखैराम द्वारा ग्राम मालगवास स्थित भूमि सदासुख, रामजीलाल, जगदीश व चिरंजीलाल, राजू को विक्रय की थी। जिसमें अखैराम के पिता का नाम भगवानसहाय ग्राम मालगवास अंकित है। साथ ही ग्राम मालगवास के नामान्तरकरण संख्या 80 जो अखैराम पुत्र भगवान्या से सदासुख आदि के नाम तस्दीक हुआ था, की प्रति प्रस्तुत की थी साथ ही एक अन्य राजस्व वाद रामस्वरूप बनाम अखैराम जो सहायक कलेक्टर दौसा के यहां विचाराधीन था, में उक्त अखैराम पुत्र भगवानसहाय ने जवाब दावा प्रस्तुत किया था तथा साथ में सत्यापन दिया था, में स्वंय को भगवानसहाय का गोद पुत्र अंकित कर ग्राम मालगवास लिखा था। उक्त समस्त दस्तावेजों से यह पूर्ण सिद्ध था कि अखैराम भगवानसहाय निवासी मालगवास का दत्तक पुत्र है जिस कारण उसको भगवानसहाय की संपत्ति जरिए दत्तक पुत्र होने के कारण प्राप्त हो गई थी, तो प्राकृतिक पिता श्योबख्श की संपत्ति में उसका किसी प्रकार का कोई हक अधिकार निहित नहीं है। फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त दस्तावेजों को अवलोकन किये बिना तथा भगवानसहाय का दत्तक पुत्र सिद्ध होते हुए भी अपीलाधीन निर्णय पारित कर श्योबख्श की विरासत का नामान्तरकरण सही होना पाया है जो निर्णय कतई गलत होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.03.2020 निरस्त फरमाया जाकर नामान्तरकरण संख्या 157 से अखैराम का नाम हज्फ फरमाये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.03.2020 विश्वव्यापी कोरोना महामारी कोविड–19 में लोकडाउन अवधि में किया गया था क्योंकि उस समय राजस्थान सरकार द्वारा समस्त सरकारी कार्यालय बंद कर दिये थे तथा आम व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा रखा था जिस कारण उक्त निर्णय की जानकारी अपीलांट को पूर्व में नहीं हुई । दिनांक 15.6.2020 को अपीलांट लोकडाउन खुलने के पश्चात तारीख तलाश करने अधिनस्थ कार्यालय में गया तो पता चला कि उक्त

पत्रावली का निर्णय तो दिनांक 23.3.2.2020 को ही लोकडाउन के दौरान ही कर दिया गया। जिस कारण उसी दिन अपीलांट ने नकल हेतु आवेदन किया जिसकी नकल दिनांक 29.6.2020 को प्राप्त हुई जिस कारण अपील जानकारी से एवं नकल प्राप्ति से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सोमोटो रिट याचिका संख्या 03/2020 में लोकडाउन व कोविड–19 को देखते हुए मियाद के बिन्दु को नहीं मानने एवं मियाद स्थगित किये जाने का आदेश दिनांक 15.3.2020 से अग्रिम आदेशों तक किया है फिर भी रफा ए हुज्जत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा फरमाते हुए उक्त अपील को अन्दर मियाद शुमार फरामाने की कृपा करें।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/5 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि हमारे पिता श्योबक्श के पांच पुत्र क्रमशः अखयराम, शिवदयाल, नन्दकिशोर, कैलाशचन्द, शंकरलाल हुए। हमारे पिता शिवबक्श का निधन होने के उपरान्त उसके हम पाचों पुत्रों की सहमति से ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 157 दिनांक 25.08.98 को भरा जाकर विधिवत रूप से तस्दीक किया गया जिसके अनुसार जमाबंदी आदि में हम सब भाईयों के नाम का खातेदारी इन्द्राज किया गया जो आज दिन तक राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से विधमान है। हमारे पिता की ग्राम तीतरवाडा स्थित व ग्राम कालेश्वर स्थित भूमि के संबंध में भी उनके निधन के उपरान्त विधिवत रूप से विरासत का नामान्तरकरण भरा जाकर हम सब भाईयों के नाम का खातेदारी अंकन किया गया। तत्पश्चात हम सब भाईयों की सहमति से ग्राम तीतरवाडा खुर्द तहसील दौसा की खाता संख्या 140 की भूमि का सभी खातेदारान की सहमति से विभाजन किया गया, जिसमें हम सभी पांचों भ्रातागण के हिस्से में खसरा नम्बर 318 लगा. 320, 596 605, 607, 876 लगा. 878, 314/3 कुल किता 10 कुल रकबा 3.18 है0 भूमि का विधिवत विभाजन करते हुये हम सब भाईयों के नाम का अलग से खाता कायम किया गया जो आज दिन विघमान है। उक्त तकासमा किये जाने संबंधी तहसीलदार महोदय दौसा के समक्ष हम सभी भ्रातागण व खातेदारान द्वारा अपने हस्ताक्षकर करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। हमारी पैत्रिक सम्पति का विभाजन होने के उपरान्त ग्राम कोलेश्वर की आराजी में से हम सभी भ्रातागण द्वारा अपने अपने हिस्से की आराजी जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर दी गई है। रेस्पोडेन्ट का यह भी कथन रहा है कि जो पैत्रिक सम्पत्ति हमे शिवबक्श से विरासत में प्राप्त हुई है पर सब भाईयों के समान ही 1/5 हिस्से के विधिक खातेदारी अधिकार प्राप्त है। ऐसी दशा में शिवबक्श की सम्पत्ति में भी विरासत के नामान्तकरण में किया गया अंकन पूर्ण रूपेण विधिक है। ऐसी स्थिति में उक्त विवादित नामान्तरकरण 157 पूर्ण रूपेण विधिक है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई तब्दीली किये जाने की कानूनन कोई आवश्यकता शेष नहीं है तथा उक्त नामान्तकरण हम पाचों के नाम यथावत रखा जाना न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा ने मृतक श्योबक्श के वारिसान के नाम ग्राम पंचायत द्वारा खोला गया नामान्तरकरण संख्या 157 दिनांक 25.08.1998 यथावत रखे जाने के आदेश पारित किये गये हैं, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने अपील खारिज कर न्यायालय तहसीलदार दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.03.2020 को यथावत रखा जावे

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्षों के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.03.2020 विश्वव्यापी कोरोना महामारी कोविड–19 में लोकडाउन अवधि में किया गया था क्योंकि उस समय राजस्थान सरकार द्वारा समस्त सरकारी कार्यालय बंद कर दिये थे तथा आम व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा रखा था जिस कारण उक्त निर्णय की जानकारी अपीलांट को पूर्व में नहीं हुई । दिनांक 15.6.2020 को अपीलांट लोकडाउन खुलने के पश्चात तारीख तलाश करने अधिनस्थ कार्यालय में गया तो पता चला कि उक्त

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

पत्रावली का निर्णय तो दिनांक 23.3.2.2020 को ही लोकडाउन के दौरान ही कर दिया गया। जिस कारण उसी दिन अपीलांट ने नकल हेतु आवेदन किया जिसकी नकल दिनांक 29.6.2020 को प्राप्त हुई। जिसके कारण उसे अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होना पूर्ण रूप से पुष्ट नहीं होता है। अतः माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अधीनस्थ पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि न्यायालय उप जिला कलेक्टर दौसा द्वारा दिनांक 26.12.2006 को उक्त अपील में निर्णय पारित कर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर उक्त विवादित नामान्तरकरण संख्या 157 दिनांक 25.8.1998 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार दौसा को प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया कि दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर एक माह के अन्दर पुनः नामान्तरकरण तस्दीक करें। उक्त निर्णय दिनांक 26.12.2006 की पालना में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा के समक्ष चला तथा पत्रावली मूल नामान्तरकरण तलब हेतु चलती रही एवं दिनोंक 18.3.2020 को कोरोना महामारी कोविड–19 के संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा लोकडाउन करने के पश्चात भी बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.3.2020 को निर्णय पारित कर पूर्व तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 157 दिनांक 25.08.1998 को सही होना माना जाकर निर्णय पारित कर दिया। जिससे स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये ही बिना ही निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.03.2020 पारित करने में कानूनी भूल की है। जबकि अपील का निर्णय करने से पूर्व उभयपक्ष को सुनकर ही प्रकरण निस्तारण किया जाना आवश्यक होता है। अतः प्रकरण रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ तहसीलदार दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.03.2020 को निरस्त किया जाता है उक्तानुसार बिन्दुओं पर जांच कर प्रकरण में उभय पक्षकारों को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुंत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निम्नानुसार बिन्दु पर विवेचन पश्चात विधिवत निर्णय पारित किया जावे।

1. क्या शंकरलाल द्वारा बंटवारा पत्र, विक्रय पत्र, नामान्तरकरण अथवा पत्रावली में संलग्न किन्ही अन्य दस्तावेजात में स्वंय यह माना है कि मेरा विवादित आराजी में 1/5 हिस्सा है। यदि हॉ तो इसका परीक्षण स्वीकारोक्ती को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं (Admitted fact need not to be proved) के सिद्धान्त के अनुसार किया जावे। यदि ऐसी कोई स्वीकारोक्ति उपलब्ध नहीं पायी जावे तो ग्राम मालगवास की जमाबंदी में दर्ज अंकन अखैराज पुत्र भगवान सहाय की वैधानिकता का परीक्षण किया जाकर अग्रिम कार्यवाही विधिवत की जावे।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 10.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर